Title: Requests the Government to fill a chalan against the Salman Khan and arrest the Suprintendent of Police of Jodhpur Rural Zone for having black dear.

श्री ज्स्वंत र्सिह ब्िश्नोई (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोद्य, मैं आपके माध्यम ्से केन्द्र ्सरकार का ध्यान एक ्बात की ओर आकृट करना चाहूंगा कि आज पूरा व्िश्व पर्या्वरण को लेकर चिंतित है। आज ्से 270 ्वर्ा पहले, ्सन् 1730 में, जोधपुर जिले में, जहां ्से मैं चुनकर आता हूं ब्िश्नोई जाति के 363 पुरु और महिलाएं पेड़ों की रक्षा के लिए हंसते-हंसते ्शहीद हो ग्ये थे। ्वन और ्वन्य जी्व ज्ब तक नहीं रहेंगे, त्ब तक पर्या्वरण ्सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं ज्ब राज्स्थान ्सरकार में ्वन और पर्या्वरण मंत्री था, त्ब ्सितम्बर 1998 में एक ्सलमान प्रकरण हुआ था। ्सलमान खान ने चार अ्वैध ्शिकार कि्ये थे और उनके खिलाफ चार मुकदमें ्भी दर्ज हुए। एक मुकदमा ्वन-व्िभाग में और तीन पुलि्स व्िभाग में दर्ज हुए। दो ्वर्ा ्बीतने के ्बाद ्भी ्सरकार ने के्वल दो मुकदमों में चालान पे्श कि्या है और ्वह ्भी धारा 173(8) में आधा-अधूरा चालान पे्श कि्या है। मैं कह ्सकता हूं कि राज्स्थान के मुख्यमंत्री श्री अ्शोक गहलोत उन अपराधि्यों को ्बचाना चाहते हैं जिन्होंने गैर-कानूनी ्शिकार कि्या है। इस ्बात को लेकर ब्िश्नोई जाति के लोग ्बड़े उद्वेलित हैं कि अपराधि्यों के खिलाफ चालान पे्श नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोद्य, चार दिन पहले जोधपुर के ग्रामीण पुलि्स अधीक्षक के घर ्से एक चिंकारा हिरण और एक मोर ्बरामद हुआ है। चिंकारा तो ्बरामद कर लि्या लेकिन मोर को उ्सने उ्ड़ा दि्या।

उपाध्यक्ष महोद्य : आपने ्वाइल्ड-लाइफ प्रोटेक््शन एक्ट के ्बारे में ्बोलना है।

श्री ज्स्वंत र्सिह ब्िश्नोई : उपाध्यक्ष जी, 1972 के ्वाइल्ड-लाइफ प्रोटेक््शन एक्ट की ्सूची (ए) के अनुसार ्वन्य प्राणी मोर और हिरण का कोई ्शिकार नहीं कर ्सकता, न ही घर में रख ्सकता है। लेकिन ज्ब इस जिले के एक एस.पी. के घर ्से चिंकारा ्बरामद हो रहा है तो क्या ्वह एस.पी. ्सलमान खान के खिलाफ चालान पे्श कर ्सकता है। मैं आपके माध्यम ्से नि्वेदन करना चाहूंगा कि राज्स्थान ्सरकार ्सलमान खान के के्स में चालान पे्श करे और जि्स एस.पी. को गिरफ्तार नहीं कि्या है, जि्सके घर चिंकारा ्बरामद हुआ है उ्सके खिलाफ कार्र्वाई की जा्ये।